

क्रमांक - 3323.269/12/15 } 3330
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन तुलसी नगर भोपाल 46000

भोपाल, दिनांक 29/12/16

// आदेश //

मोप्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी 2008 परिपत्र क्रमांक एफ-11/17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर निम्नलिखित कर्मचारियों श्री/द्वितीय उच्चतर वेतनमान में वेतन बैंड रु. 5200-20200 के ग्रेड रु.2800/- वेतन की स्वीकृति उनके प्रत्येक के नाम के समक्ष दर्शाये अनुसार दिनांक से प्रदान की जाती है --

संक्र	कर्मचारी का नाम व पद(अनुरोधक)	विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक	समयमान वेतनमान प्रभावशील होने का दिनांक
01	श्री प्रदानन तिवारी	11.03.83	01.04.2009
02	श्री अरविन्द कुमार पाठक	16.10.1969	16.10.2009
03	श्री सतीश कुमार पटेल	23.11.1994	23.11.2014
04	श्री सुषमा सिंह	13.09.1995	13.09.2015
सामान्य शर्तें-			

- समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार दिनांक 23.03.2009 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा। वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिया जावे।
- समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी वद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा; परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान में नियुक्ति प्राप्त होने पर उसे स्वीकृत किया जावेगा।

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29/12/2016

क्रमांक 3323.269/12/15
प्रतिलिपि

3331

भोपाल, दिनांक 29/12/2016

- मुख्य अभियंता गंगा कछार जल संसाधन विभाग सीवा।
- अधीक्षण यंत्री,
- कार्यपालन यंत्री
- निज सहायक प्रमुख अभियंता/ अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल।
- संबंधित श्री
- वेद मैनेजर कार्यालय परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

द्वारा संक्र 01

नोट संक्र.1.2.3 के त्रिये-

संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जाँच एवं लेखा से कराने के पश्चात ही भुगतान करने की कार्यवाही की जाय।

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
13